(वाद सं0–2936/2018)

29.07.2021

परिवादी, तोलिया देवी, पत्नी सीताराम चौधरी, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, दिनांक–22.03.2018 को सुबह 07:00 बजे कुछ लोगों द्वारा परिवादी के घर पर आकर उसके साथ मारपीट करने तथा उक्त के संबंध में पुलिस को सूचना देने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि अभियुक्तों द्वारा पूर्व में भी उसके साथ समान आशय का घटना कारित किया गया था जिसमें भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, कटिहार से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि 'आवेदिका तोलिया देवी, पत्नी सीताराम चौधरी, सा0–गदाई दियारा वार्ड न0–11, थाना–अहमदाबाद , जिला–कटिहार का जमाबंदी खाता सं0–24, तौजी न0–427 में कुल रकवा 22 बिगहा 14कड़ी 18 धुर जमीन गदाई दियारा स्थित है। आवेदिका उक्त जमीन पर कब्जा बनाये हुए है जिसका लगान रसीद वर्ष 2013–14 प्राप्त है। आवेदिका बंगाल राज्य स्थित सा0–धरी उमेश टोला (बलुआ टोला) थाना–माजिकचक, जिला–मालदा (पश्चिम बंगाल) स्थित जमीन पर अपना घर बनाकर बंगाल के रहने वालों का सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा कर ली है। उक्त जमीन का कागजात आवेदिका से मांगने पर किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु इसके बावजूद अपना उसपर दावा कर रही है जबकि उक्त जमीन गंगा पार बंगाल राज्य में अवस्थित है, जो झारखण्ड राज्य से पश्चिम/दक्षिण सीमा से सटा हुआ है। जांच के क्रम में यह भी बात प्रकाश में आयी है कि आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित लोग खेतीहर मजदूर किस्म के व्यक्ति है जो बंगाल के रहने वाले है वर्ष 2007 में बंगाल सरकार द्वारा 680 व्यक्तियों को 1800 बिगहा जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, जो अपने अपने

हिस्से की जमीन पर खेती–बारी कर रहे है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। निगरानी रखी जा रही है।''

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी है। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा पुलिस प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों को अस्वीकार किया गया है। परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जिला लोक शिकायत पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष समान आशय का एक आवेदन दिया गया था जिसे जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, कटिहार को परिवादी के आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर विधि–सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश के साथ समाप्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध परिवादी प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार, पूर्णियाँ के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकार पूर्णियाँ द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुए परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जांच कराकर दोषी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु **पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ से अनुरोध करते हुए वाद को समाप्त कर दिया गया।**

परिवादी का कथन है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार के उपरोक्त आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है।

कार्यालय, परिवादी के परिवाद पत्र (पृ0–62–01/प0), उक्त पर पुलिस अधीक्षक, कटिहार के प्रतिवेदन (पृ0–66–65/प0) व उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी के प्रत्युत्तर (पृ0–156–150/प0) की प्रति संलग्न कर **पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ से अनुरोध किया जाय कि उपरोक्त के संबंध में आठ सप्ताह के अन्दर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।**

राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>